



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221753
CG-DL-E-16092020-221753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2785]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 2785]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 24020/BHADRA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3132(अ).—जबकि, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 2865(अ), दिनांकित 01 सितंबर, 2017, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नई सं. रारा-66) के किमी. 358.750 से किमी. 551.900 (अरूर से कझाकोट्टम खंड) को केरल राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47) के डिजाइन किमी 486/500 से किमी 499/500 (मौजूदा किमी 486/500 से किमी 499/500) तक खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर कोल्लम बाइपास पर 15.38 किमी (1.538 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मी से अधिक लंबाई वाले) के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% और दस करोड़ अथवा अधिक की लागत वाली 11.462 किमी लंबाई वाले

बाइपासों के लिए 90% पर यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1 □	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. 10 करोड़ रु. अथवा अधिक की लागत वाले बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

तालिका-2						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनैज)	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
केरल राज्य के कोल्लम जिले में कुरीपुझा गांव के निकट रारा-47 (नया रारा-66) के किमी 488/840 पर	रारा-66 का कोल्लम बाइपास	डिजाइन किमी 486/500 (मौजूदा किमी 486/500)	डिजाइन किमी 499/500 (मौजूदा किमी 499/500)	11.462	133.07	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनैज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
केरल राज्य के कोल्लम जिले में कुरीपुझा गांव के निकट रारा-47 (नया रारा-66) के किमी	1.538	15.38	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार

488/840 पर		दरों का 60%
------------	--	-------------

ब्यौरा निम्नानुसार हैं: -

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	487.227	487.844	मुख्य पुल	0.617
2	490.137	490.232	मुख्य पुल	0.095
3	491.848	492.674	मुख्य पुल	0.826
कुल				1.538

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और कथित नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन परिचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 352.05 करोड़ रु. है जिसे केंद्रीय सरकार और केरल राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर किया गया है। प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा केंद्रीय सरकार के पूंजीगत लागत के भाग की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच/12037/434/2009-केएल/पी-7/ जोन-III(भाग)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3132(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2865(E) dated 01st September 2017 issued under Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from km 358.750 to km 551.900 (Aroor to Kazhakootam Section) of National Highway No. 47 (new No. NH66) in the State of Kerala to the State Government of Kerala ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty percent of the rate specified in Column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 15.38 km (having length of 1.538 km) and at ninety percent of the base rate for bypasses having length of 11.462 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below on Kollam bypass from design kilometer 486/500 to kilometer 499/500 (existing km 486/500 to km 499/500) of National Highway No.66 (Old NH No.47) in the State of Kerala and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table - I	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payment at the Fee Plaza for the use of the bypass costing Rs.10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table - 2						
Location of Fee Plaza(change)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 488/840 of NH	Kollam	Design km	Design km	11.462	133.07	90% of the base rates

47 (new NH66) near Village Kuripuzha in Kollam District of Kerala	Bypass of NH - 66	486/500 (existing km)	499/500 (existing km)		mentioned in Table – 1 above
---	-------------------	-----------------------	-----------------------	--	------------------------------

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table – 3			
Location of Fee Plaza (change)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 488/840 of NH 47 (new NH66) near Village Kuripuzha in Kollam District of Kerala	1.538	15.38	60% of the base rates mentioned in Table – 1 above

The details are as under:-

	Change		Type of Structure	Length (in km)
	From km	To km		
1	487.227	487.844	Bridge	0.617
2	490.137	490.232	Bridge	0.095
3	491.848	492.674	Bridge	0.826
Total				1.538

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265 (Rupees two hundred and sixty five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table – 4		
Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for oneway journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two –third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1 A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, and category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table – 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National

Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 352.05 crores, which has been born by the Central Government and Government of Kerala on 50:50 Cost Sharing basis. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the Central Government Share of capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH-12037/434/2009-KL/P-7/Zone-III(Part)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.